**संख्या-26/2025/I/898375/2025/001-71-2002-002-9-2023**

प्रेषक,

कृतिका शर्मा
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-05-03-2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोमतीनगर योजना के अंतर्गत विभूति खण्ड में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को आवंटित भूमि की लीज डीड निष्पादन निबन्धन शुल्क की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3034/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2025/सि0-103, दिनांक 05 फरवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोमतीनगर योजना के अंतर्गत विभूति खण्ड में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को आवंटित भूमि की लीज डीड निष्पादन हेतु निबन्धन शुल्क धनराशि रू0 3,90,95,100.00 वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में संस्थान हेतु वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से विभूति खण्ड स्थिति संस्थान को आवंटित भूमि की लीज डीड निष्पादन डीड निष्पादन निबन्धन शुल्क लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आंकलित वर्तमान मालियत की दर से निबन्धन शुल्क धनराशि रू0 3,90,95,100.00 (रुपये तीन करोड़ नब्बे लाख पंचानबे हजार एक सौ मात्र) को (अनुदान संख्या-31 से रू0 30,8,85,129.00 एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 82,09,971.00) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,08,85,129 (रुपये तीन करोड़ आठ लाख पचासी हजार एक सौ उनतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 82,09,971 (रुपये बयासी लाख नौ हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

**संख्या-26/2025/I/898375/2025/001-71-2002-002-9-2023, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।